प्रकरण संख्या : 53/2025
विश्राम बनाम राज० सरकार
निर्णय दिनांक : 20.01.2026

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी : संजू मीणा, RAS
प्रकरण संख्या : 53/2025
दायर दिनांक : 04.07.2025
निर्णय दिनांक : 20.01.2026

1. विश्राम पुत्र नारायण जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा *

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज० भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सूरजपुरा तहसील व जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 877, 878, 889 कुल किता 3 कुल रकबा 1.75 है० स्थित है। उक्त भूमि की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विश्राम पुत्र गंगाराम के नाम से दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत सूरजपुरा द्वारा जो नारायण की विरासत का नामान्तकरण संख्या 36 तस्दीक किया गया है, उसमें भी विश्राम पुत्र नारायण के नाम तस्दीक किया गया है किन्तु भूप्रबन्ध विभाग ने अवैधानिक तरीके से बिना नामान्तकरण का अवलोकन किये राजस्व रिकॉर्ड में विश्राम पुत्र गंगाराम अंकित कर दिया जबकि नारायण के पुत्र का वास्तविक नाम विश्राम है। ग्राम सूरजपुरा में ही खाता संख्या 115 है उसमें भी प्रार्थी के पिता का नाम नारायण अंकित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खाता संख्या 93 ग्राम सूरजपुरा की कृषि भूमि में जो विश्राम पुत्र गंगाराम दर्ज हो रहा है उसे हज्फ किया जाकर उसके स्थान पर विश्राम पुत्र नारायण मीना दर्ज करने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में अंकित किया कि प्रश्नगत आराजी विसराम पुत्र गंगाराम जाति मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ग्राम सूरजपुरा के नामान्तकरण संख्या 36 से प्रार्थीगण की अन्य भूमि का नारायण पुत्र नहनू कौम मीना से नयना बेवा नारायण, रंगलाल विश्राम पि० नारायण कौम मीना दर्ज हुआ है। जबकि प्रश्नगत अराजी में वक्त सैटलमेन्ट मुताबिक आदेश श्रीमान एएसओ कैम्प तस्दीक सूरजपुरा दिनांक 03.12.82 के आदेश जो पर्चा नं० 25 के पुश्त पर अंकित के अनुसार गंगाराम पुत्र नहनू का नाम खारिज कर विसराम पुत्र गंगाराम का नाम दर्ज हुआ है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में रंगलाल पुत्र नारायण जाति मीना एवं विश्राम पुत्र नारायण जाति मीना के शपथ–पत्र एवं ग्राम पंचायत सूरजपुरा का प्रमाण पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी दौसा (राज०)

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी में दर्ज अपने पिता का नाम गंगाराम को दुरुस्त कर नारायण अंकित करवाना चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी आधार सम्वत्

2071–2074 (वर्ष 2019 से स्थायी) का अवलोकन करने पर ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 877, 878, 889 कुल किता 3 कुल रकबा 1.75 है॰ की खातेदारी बिसराम पुत्र गंगाराम जाति मीना के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना प्रमाणित होता है। मुताबिक जवाब तहसीलदार दौसा ग्राम सूरजपुरा के नामान्तकरण संख्या 36 से प्रार्थीगण की अन्य भूमि नारायण पुत्र नहनू कौम मीना से नयना बेवा नारायण, रंगलाल विश्राम पि॰ नारायण कौम मीना के नाम दर्ज हुयी है। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नारायण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र में भी प्रार्थी के पिता का नाम नारायण अंकित है, जो कि इस तथ्य की पुष्टि करता है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम नारायण है। ग्राम सूरजपुरा के खात संख्या 93 में प्रार्थी के पिता का नाम गंगाराम के स्थान पर नारायण दर्ज किये जाने हेतु रंगलाल पुत्र नारायण जाति मीना एवं विश्राम पुत्र नारायण जाति मीना की ओर से शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम पंचायत सूरजपुरा के प्रमाण पत्र दिनांक 08.01.2026 में भी प्रार्थी के पिता का नाम गंगाराम गलती से दर्ज होना एवं वास्तविक नाम नारायण दर्ज किये जाने की सिफारिश की गयी है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कहीं भी प्रार्थी के पिता का नाम दुरुस्त किये जाने में आपत्ति होना नहीं जताया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 93 के खसरा नम्बर 877, 878, 889 कुल किता 3 कुल रकबा 1.75 है॰ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के पिता का नाम "बिसराम पुत्र गंगाराम जाति मीना" को दुरुस्त कर "बिसराम पुत्र नारायण जाति मीना" दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार दौसा आदेशानुसार पालना करे। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(संजू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)